गुजरात में खनिजों और धातुओं की खोज

4145. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में खनिजों और धातुओं की खोज के लिये कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां सर्वेक्षण किया गया था और इस अवधि के दौरान वहां पाये गये खनिजों और धातुओं की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गये हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में निम्नलिखित क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण का कार्य प्रारंभ किया है :–

(1) बानासकांथा जिले में टीन-टंगस्टन-मोलिब्डनेम और रेयर अर्थ एलिमेंट का अन्वेषण ।

(2) बानासकांथा जिले के अम्बामाटा विस्तार क्षेत्रों में मूल धातु का अन्वेषण ।

(3) बानासकांथा जिले में घोडा के निकट बोलास्टोनाइट का अन्वेषण ।

(4) जामनगर जिले के जामजोधपुर क्षेत्र के एलेक हिल में स्वर्ण संबंधी अन्वेषण । अब तक के अन्वेषण के परिणाम उत्साहवर्धक नहीं हैं ।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में लगभग 35 मिलियन टन लिग्नाइट होने का अनुमान लगाया हैं जिसमें से 25 मिलियन टन भंडूंब क्षेत्र में और 10 मिलियन टन राजपारदी और वास्तान क्षेत्रों में मिलने का अनुमान है ।

(ग) गुजरात के लिग्नाइट निक्षेपों का विदोहन राज्य सरकार के उपक्रम गुजरात खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है ।

खानों की खोज

4146. **श्री अजीत जोगी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान विभिन्न धातुओं/अयस्कों की खानों की खोज पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों की तुलना में खनिज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई; और

(ग) क्या उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान खनिजों की खोज पर भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में वहन किए गए परिचालन व्यय की कुल राशि 9.04 करोड़ रु० थी । खनिज गवेषण निगम लि० (एमईसीएल) में प्रवर्तन (प्रमोशनल) संबंधी व्यय के रूप में 13.59 करोड़ रु० खर्च किए गए ।

(ख) देश में उत्पादित खनिज की कुल मूल्य में पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1991-92, 1990-91 और 1989-90 में क्रमश : 3.26%, 3.11% और 5 % की बढ़ोत्तरी हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Scandal in MECL

4147. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a multi-crore purchase scandal in the Mineral Exploration Corporation Ltd., a public sector unit, had recently come to light;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what is the outcome of the investigations made into the purchase scandal ; and

(d) what action has been taken by Government against those involved in the scandal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV) : (a) to (d) The Mineral Exploration Corporation Limited (MECL) placed orders for purchase of 29 drill machines and certain tools and accessories amounting to Rs. 3.36 crores during lanuary-February, 1990. The allegation that orders were placed for drills, spares and tools not required by MECL, has been referred to CBI for enquiry. The CBI on the basis of preliminary enquiry have filed an FIR against seven officials of MECL.

संगमरमर की कीमतें

4148. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि संगमरमर की कीमतें 5 रु० वर्ग फुट से लेकर 500 रु० वर्ग फूट तक है और इस वर्ष इस पर 20 रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से उत्पादन शुल्क लगा देने के कारण सस्ते किस्म के संगमरमर के उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ बढ़ गया है;

(ख) क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने के लिए विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार और कब तक विचार करेगी ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) यह सच है कि संगमरमर की कीमतें गुणवत्ता तथा साइज के अनुसार बहुत अधिक भिन्न होती हैं । 1-3-1994 से संगमरमर पर उत्पादन शुल्क 20.00 रु० प्रति वर्ग मी० की एक समान दर से देय होता है । यह इससे पहले 10 रु० प्रति वर्ग मी० था ।

विदेशी कंपनियों को खनन अधिकार

4149. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विदेशी कंपनियों को किन-किन खनिजों के खनन का अधिकार प्रदान किया गया है और इस संबंध में खनिज-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वहां पर अपनाई जाने वाली संभावित आधुनिक प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खनिजों की खोज के लिए कौन-कौन सी कंपनियां किन-किन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार, खनन पट्टा/पूर्वेक्षण लाइसेंस केवल भारतीय नागरिक अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत परिभाषित कंपनी को ही स्वीकृत किया जा सकता है । अतः विदेशी कंपनियों को खनन अधिकार स्वीकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Amendment of MMRD, 1957

4150. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of MINES be pleased to state :

(a) whether the Federation of Indian Mineral Industries has urged Government to speedily amend the MMRD Act, 1957 to bring it in line with the already an nounced new National Mineral Policy ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) by when the new changes are likely to be brought in the MMRD Act, 1957?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV) : (a) to (c) After taking into consideration suggestion received from time to time. Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Ordinance, 1994 was issued on 25-1-94. This Ordinance has been replaced by the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Bill, 1994 passed by both the Houses of Parliament, The President has given his assent to this Bill on 28-3-94.

मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण

4151. **मौलाना मोहम्मद सुलेमान खान आजमी** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा संसद में उठाए गए/चर्चा किए गए मुद्दों पर अच्छी तरह से और शीघ्र कार्यान्वयन के उद्देश्य से समन्वित कार्यवाही हेतु सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण देने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है । इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को संसदीय प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों की जानकारी प्रदान करना है ।

संसद सदस्यों को सुविधाएं

4152. **श्री रामजी लाल** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद सदस्य के साथ उस राज्य को छोड़कर जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, देश के दूसरे राज्यों में एक आम व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्यों में स्थित गेस्ट हाउसों इत्यादि में संसद सदस्यों से जब वे आधिकारिक दौरों पर नहीं होते, सामान्य किराये वसूल किये जाते हैं जबकि विधानसभा सदस्यों/राज्य के अधिकारियों से रियायती किराये लिये जाते है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं या जारी करने का विचार रखती है ताकि संसद सदस्य भी संबंधित राज्यों के विधानसभा सदस्यों/अधिकारियों को उपलब्ध सुविधा का लाभ उठा सके ?

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) इस मामले की गृह मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय से परामर्श करके पहले भी जांच की गई थी । क्योंकि राज्य अतिथिगृह राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन होते है और कठिन प्रशासनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि इस संबंध में निर्णय राज्य सरकारों पर छोड दिया जाए । बदली हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मामले की पुनः जांच करने प्रस्ताव है ।